लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharnet.in

क्र.विद्या/टी/10/प्रशि./10/140 भोपाल, दिनॉक 4/02/2010

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

विषयः सेटकाम के माध्यम से प्राचार्यों का प्रशिक्षण दिनॉक 7 फरवरी, 2010 समय–1:00 से 5:00 बजे तक।

संदर्भः संचालनालय का पत्र क्र. शा.शि./विद्या/टी/10/प्रशि./10/89, दिनॉक 23.01.2010 एवं राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र.आई.सी.टी/टेलीकान्फ्रेंसिंग/2010/725, दिनॉक 2.02.2010।

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन किया जाये, जिसके माध्यम से दिनॉक 7 फरवरी, 2010 को समय 1:00 से 5:00 बजे तक प्राचार्यों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसमें माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त लोक शिक्षण, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। सेटकाम के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार रहेंगेः–

1. प्राचार्य प्रशिक्षणः–

प्रशिक्षण का प्रारंभ 7 फरवरी, 2010 को होगा। प्रशासन अकादमी द्वारा प्रत्येक प्राचार्य को प्रशासन, वित्त तथा अकादमिक विषयों पर आधारित 3 पुस्तकें उपलब्ध कराई जायेगी। इन विषयों पर प्राचार्य द्वारा असाइमेंट जमा कराना होंगे। अप्रैल से सितम्बर, 2010 तक प्रतिमाह सेटकाम के माध्यम से प्रशासन अकादमी द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें प्राचार्य प्रश्नोत्तर कर सकेंगे। सितम्बर अंत में परीक्षा होगी, जिसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

2. बालिका प्रोत्साहन योजनाः–

भारत सरकार के द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए आगे का अध्ययन जारी रखने हेतु बालिका प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। बालिकाओं की जानकारी भारत सरकार को भेजने जाने हेतु साफ्टवेयर विकसित किया गया है । प्राचार्यगण यह सुनिश्चित कर लें कि समय सीमा में पात्र छात्राओं की जानकारी की प्रविष्टि हो जाय। कक्षा 9वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कस्तूरबा बालिका विद्यालय में अध्ययनरत 16 वर्ष तथा 16 वर्ष से कम आयु सीमा की कक्षा 9वीं में अध्ययनरत बालिका के बैंक खाते में रू. 3,000/– की राशि जमा की जायेगी, जो कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने पर मिलेगी। इस हेतु वर्ष 2008–09 में 50,000

JANUARY

बालिकाओं की प्रविष्टि हो चुकी है, शेष प्रविष्टि शीघ्र की जाये तथा वर्ष 2009–10 की पात्र छात्राओं की प्रविष्टि 15 मार्च, 2010 तक सभी प्राचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा की जाना है।

3. इन्सपायर अवार्ड विज्ञान प्रोत्साहन योजनाः–

विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रूचि एवं अभिक्षमता विकसित करने की दृष्टि से इन्सपायर अवार्ड योजना प्रारंभ की गई है। कक्षा 6 से 10 तक में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उन्हें विज्ञान माडल बनाने हेतु राशि रूपये 5000/– प्रदाय किये जावेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की प्रविष्टि एजुकेशन पोर्टल पर की जाना है। प्रायवेट अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त, सी.बी.एस.ई., केन्द्रीय विद्यालय आदि के छात्र/छात्राओं की कक्षावार प्रविष्टि अपने जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी जानकारी संकलित कर संचालनालय भिजवायेंगे। अतः जिन प्राचार्यों ने अभी तक प्रविष्टि नहीं की है, वे तत्काल यह कार्यवाही सुनिश्चित करें। उक्त प्रविष्टि अधिकतम दिनॉक 10 फरवरी तक पूर्ण कर लें।

4. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजनाः–

गतवर्षानुसार 1 अप्रैल से शिक्षण सत्र प्रारंभ हो रहा है। अतः सभी बालक/बालिकाओं को उक्त योजना अंतर्गत पाठ्यपुस्तकें अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो जाये, यह सुनिश्चित किया जाना है।

5. छात्रवृत्तिः–

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली निम्नांकित छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति/प्रोत्साहन योजना हेतु शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हितग्राही विद्यार्थी **दिनॉक 28 फरवरी, 2010** तक निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन कर सकते है।

स.क.	छात्रवृत्ति का नाम	कक्षा	विस्तृत जानकारी हेतु पता
1	स्वामी विवेकानन्द पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति योजना,	11 वीं से 12 वीं तक	छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के संबंध में आवेदन पत्र, विस्तृत विवरण, दर एवं शर्तें लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी किये गये है। **संपर्क हेतु पताः–** संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय **वेबसाइट** www.sednmp.nic.in
2	सुदामा प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति,	09 वीं से 10 वीं तक	
3	सुदामा शिष्यवृत्ति योजना,	11 वीं से 12 वीं तक	
4	डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम मेधावी छात्र पुरस्कार योजना,	माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 12 वीं उत्तीर्ण। प्रत्येक जिले से संकायवार एक छात्र एवं एक छात्रा	
5	परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं में प्रथमा एवं मध्यमा कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति	कक्षा प्रथमा से मध्यमा तक	

6	सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति	06वीं से 08 वीं तक	राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल **वेबसाइट–** www.ssa.mp.gov.in

विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मिलने वाली अन्य वृत्तियों तथा योजनाओं का संक्षिप्त विवरण (**www.educationportal.mp.gov.in**) पर अंकित किया गया है। विद्यार्थी इसे पढ़कर शासन द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इस संबंध में आवश्यक सहयोग दिया जाये।

6. योग नीतिः–

जिन विद्यालयों को डी.डी.ओ. कोड प्राप्त है, उन सभी को सामूहिक सूर्य नमस्कार संबंधी गतिविधियों के आयोजन हेतु राशि रूपये 2000/– प्रदाय किये गये थे। इनका उपयोग सुनिश्चित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये।

7. कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाः–

स्थानीय परीक्षाएं पहले फरवरी माह में ली जाना तय थी, किन्तु यह अनुभव किया गया कि नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायत चुनाव के कारण अध्ययन–अध्यापन में व्यवधान हुआ है। अतः यह निर्णय लिया गया कि फरवरी माह का पूरा उपयोग अध्ययन कार्य के लिए किया जाये। अब यह परीक्षाएं कक्षा 9वीं की दिनॉक 6 से 23 मार्च तक तथा कक्षा 11वीं की दिनॉक 3 से 29 मार्च तक आयोजित होगी। गतवर्षो की भॉति इसमें 10 प्रतिशत अधिकार दिया जाये। परीक्षाओं का मूल्यांकन विकास खंड स्तर किया जाये तथा परीक्षा परिणााम भी दिनॉक 31 मार्च तक घोषित कर दिया जाये।

8. दिनॉक 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ

गतवर्ष की भॉति इस वर्ष भी शिक्षा सत्र का प्रारंभ 1 अप्रैल से किया जाना है। अतः मार्च माह में ही आवश्यक व्यवस्थाऍ सुनिश्चित कर ली जाये। विद्यार्थियों की संख्या की अनुरूप पाठ्यपुस्तकें समय पर प्राप्त हो जाये, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये।

9. विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजनाः–

विगत वर्षो में विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित अनेक प्रकणों में अनावश्यक आपत्तियॉ लगाकर प्रकरण निरस्त किये गये हैं तथा विद्यार्थियों को क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे प्रकरणों में पुनर्विचार की कार्यवाही की जाये तथा आवश्यक होने पर न्यायालयीन कार्यवाही भी की जाये।

10. उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से प्रवेश परीक्षा का आयोजनः–

उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिनॉक 28 फरवरी, 2010 को होना है। इस हेतु आवश्यक व्यवस्थाऍ करें।

11. शैक्षिक गुणवत्ताः—

शिक्षण में गुणवत्ता हेतु अतिथि शिक्षक व्यवस्था, निदानात्मक कक्षाओं का आयोजन, निरीक्षण, चलित प्रयोगशाला आदि व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाये।

(डॉ.अवध किशोर मिश्र)
संचालक,
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

क्र.विद्या / टी / 10 / प्रशि. / 10 / 141 भोपाल, दिनॉक 4 / 02 / 2010

प्रतिलिपिः—

1. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
2. श्री निशिकांत जोशी, प्रोग्रामर, स्थानीय की ओर उक्त को स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट एवं एजूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

संचालक,
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश